न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 35/2024

प्रार्थीः– 1. कमरसिंह पुत्र रामभजन मीणा निवासी ग्राम रोहिला कल्ला, तह. व जिला जोधपुर जरिए आममुख्त्यार लूणीदेवी पत्नी भोमाराम, निवासी 103 बिलाडा स्कूल के सामने वैशाली ऐवेन्यु, झंवर रोड़, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 16/5/2024

–::आदेश::–

उपस्थितिः– 1. श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दिनेश जोशी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मोकलावास तह. व जिला जोधपुर की जमांबदी संवत 2061–2064 लगातार आजतक के खाता सं. नया 225 व पुराना 216 में इन्द्राज कृषि भूमि सहखातेदारान के बीच हुए बंटवाडे का नामा. सं. 717 दिनांक 24.03.2007 को स्वीकृत हुआ है। खेत खसरा सं. 40 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं. 338/4 रकबा 14 बिस्वा सोनाराम पुत्र अमराराम भील के खातेदारी में इन्द्राज की गयी है। सोनाराम ने खेत खसरा सं. 40 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा का बेचान कमरसिंह मीणा को कर दिया है व बेचान की पालना में नामा. प्रार्थी के नाम स्वीकृत हुए जो नाम. सं. 764 दिनांक 31.01.2008 जरिए रकबा 1 बीघा भूमि व नामा. सं. 801 दिनांक 20.05.2009 जरिए रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि का जमाबंदी में इन्द्राज है। सोनाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामा. सं. 963 दिनांक 15.02.2013 में बेचान किए हुए खसरा सं. 40 में भी सोनाराम के वारिसान का नाम सद्भाविक भूल से इन्द्राज हो गया और इस भूल को जमाबंदी में इन्द्राज के दौरान दोहराया गया है। सोनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में खसरा सं. 40 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि को बेचान कर दिया गया था, बेचान की पालना में नामा. सं. 764 व 801 प्रार्थी के नाम स्वीकृत हो गए है, सद्भाविक भूल से फौतेदगी नामा. सं. 963 खसरा सं. 40 में इन्द्राज किया गया है, राजस्व रेकर्ड में खसरा सं. 40 को शुद्ध रूप से दर्ज नहीं करने के कारण प्रार्थी को परेशानिया हुई हैं। लिहाजा राजस्व ग्राम मोकलावास पटवार हल्का रोहिला कल्ला, तह. व जिला जोधपुर की जमाबंदी संवत 2061–2064 लगातार के खेवट खतौनी सं. नया 225 पुराना 216 में इन्द्राज कृषि भूमि खसरा सं. 40 प्रार्थी की खरीदशुदा, खातेदारी की है और खसरा सं. 40 में नामा. सं. 963 के जरिए सोनाराम के वारिसान का नाम इन्द्राज किया गया है जिसे विलोपित किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्ध किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मोकलावास पटवार हल्का रोहिलाकलां के जमाबंदी संवत 2061–64 के खाता सं. 225 में खसरा सं. 38, 39, 40, 47 व 338 में सहखातेदारों के मध्य विभाजन का इन्द्राज नामा. सं. 717 दिनांक 24.03.2007 के द्वारा किया गया। विभाजन से खसरा सं. 40 व 338/4 रकबा क्रमशः 9–10 बीघा व 0–16 बीघा सोनाराम पुत्र अमरा राम के नाम दर्ज किया गया। सोनाराम ने खसरा सं. 40 रकबा 9–10 में से एक बीघा भूमि नामा. सं. 764 दिनांक 31.01.2008 के द्वारा बेचान से श्री कमरसिंह मीणा पुत्र श्री रामभजन मीणा

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

के नाम दर्ज की गई एवं शेष भूमि 8–10 बीघा भूमि भी बेचान से नामा. सं. 801 दिनांक 20.05.2009 के द्वारा कमरसिंह पुत्र श्री रामभजन मीणा के नाम दर्ज की गई। सोनाराम के फौत होने पर नामा. सं. 963 दिनांक 15.02.2013 में नामा. वारिसानों के नाम दर्ज करते समय खसरा सं. 338/4 के साथ–साथ खसरा सं. 40 में भी दर्ज हो गया था। उक्त नामा. प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 में दर्ज किया गया था। कैंप में कार्य की अधिकता के कारण सहवन से खसरा सं. 40 भी खाथ में दर्ज हो गया, जबकि खसरा सं. 40 सोनाराम का हिस्सा/भूमि पूर्व में हस्तानान्तरण हो चुकी थी।

उक्त खसरा सं. 40 में राजस्व रेकर्ड में शुद्धि हेतु नामा. सं. 963 में दर्ज खसरा सं. 40 का इन्द्राज विलोपितकर शुद्धि की जाने की अभिशंषा तहसीलदार जोधपुर द्वारा की गई।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है जमाबंदी संवत 2061–64 लगातार के खेवट खतौनी सं. नया 225 एवं पुराना 216 में इन्द्राज कृषि भूमि खसरा सं. 40 प्रार्थी की खरीदशुदा खातेदार की है और खसरा सं. 40 में नामा. सं. 963 के जरिए सोनाराम के वारिसान का नाम इन्द्राज किया गया है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलावास पटवार हल्का रोहिला कल्ला भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बागा के खसरा सं. 40 में नामा. सं. 963 सोनाराम के वारिसान का नाम जमाबंदी से विलोपित किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं।

(पंकज कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर
(उत्तर)

आदेश आज दिनांक 16/5/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/05/2024

(पंकज कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर
(उत्तर)